भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2454
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

पीएम पोषण के तहत प्रतिस्थापित पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों के स्थान पर अन्य समतुल्य पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ

†2454. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पीएम पोषण के अंतर्गत अंडों या अन्य प्रोटीन-युक्त खाद्य पदार्थों को प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व कोई पोषण-समतुल्यता प्रोटोकॉल निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसे प्रोटोकॉल में प्रोटीन की गुणवत्ता, जैव-उपलब्धता, सूक्ष्म-पोषक तत्व घनत्व, प्रति शिशु लागत, स्थानीय स्वीकार्यता और आपूर्ति की विश्वसनीयता पर विचार किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में ऐसे राज्यों और जिलों की संख्या कितनी है जहां इस प्रकार के प्रतिस्थापन की अनुमति दी गई थी;
(घ) क्या किसी मामले में दर्ज पोषण मूल्यांकन के बिना प्रतिस्थापन की अनुमति दी गई थी; और
(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश सरकारी स्कूल और स्कूल बोर्ड राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन के अधीन हैं। पीएम पोषण योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गई है। बाल वाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा

I से VIII तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेनू तय करने और बाजरा, सब्जियों, मसालों आदि जैसे स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

पीएम पोषण योजना के तहत, सभी पात्र बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंड इस प्रकार हैं:

मद	**प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए**	**उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए**
क) पोषण संबंधी मानदंड (प्रति बच्चा प्रति दिन)		
कैलोरी	450	700
प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख) खाद्य मानदंडों की मात्रा (प्रति बच्चा प्रति दिन)		
खाद्यान्नों	100 ग्राम	150 ग्राम
दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
नमक और मसाला	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

इसके अलावा, निर्धारित किए गए जिलों में स्कूल पोषण उद्यानों की स्थापना और पूरक पोषण कार्यकलापों के प्रावधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्लेक्सी घटक के रूप में कुल आवर्ती बजट के 5% का प्रावधान है। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय खाद्य आदतों, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं, उपलब्धता और आहार पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पूरक पोषण भी प्रदान करते हैं।
